न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2018 (डूंगरपुर डिक्री)

1. गजेन्द्र पुत्र गटू सेवक, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर
2. दिनेश पुत्र गटू सेवक, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर
3. हितेश पुत्र गटू सेवक, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर
4. मन्जू पुत्री गटू सेवक, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर
5. पिंकी पुत्री गटू सेवक, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर
6. कवीता पुत्री गटू सेवक, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर
7. पार्वती बेवा गटू सेवक, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. लक्ष्मीदेवी वेवा धूलजी सेवक, निवासी खेड़ा, तह0 आसपुर, जिला डूंगरपुर
2. हीरालाल पिता शंकर सेवक, निवासी खेड़ा, तह0 आसपुर, जिला डूंगरपुर
3. दिनेश पिता धूलजी सेवक, निवासी खेड़ा, तह0 आसपुर, जिला डूंगरपुर
4. नरेन्द्र पिता धूलजी सेवक, निवासी खेड़ा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर
5. श्रीमती आशा पत्नी अशोक पुत्री धूलजी सेवक, निवासी बोडीगामा छोटा, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
6. श्रीमती सपना पत्नी कैलाश पुत्री धूलजी सेवक, निवासी सराडा, तहसील सलुम्बर, जिला डूंगरपुर (राज.)
7. श्रीमती रीना पत्नी परेश पुत्री धूलजी सेवक, निवासी साबला, जिला डूंगरपुर (राज.)
8. श्रीमती गायत्री पुत्री धूलजी सेवक, निवासी खेड़ा, आसपुर, जिला डूंगरपुर
9. श्रीमती तुलसी पत्नी स्व. भेमजी तेली, निवासी आसपुर के वारिसान :–

9/1. डायालाल पिता स्व. भेमजी तेली, निवासी आसपुर, जिला डूंगरपुर

9/2. हरीश पिता स्व. भेमजी तेली, निवासी आसपुर, जिला डूंगरपुर

9/3. रेखा पिता स्व. भेमजी तेली, निवासी आसपुर, जिला डूंगरपुर

9/4. संगीता पिता स्व. भेमजी तेली, निवासी आसपुर, जिला डूंगरपुर

10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
11. उप पंजीयक अधिकारी, आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:43 IST
Reason: SelfAttested

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आसपुर
दिनांक 26.09.2018 प्र.सं. 106/2013

———::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1— श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री संजीव भटनागर अभिभाषक रे.सं. 1 से 8
3— राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10, 11

———::———

निर्णय **दिनांक 13—09—2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आसपुर के खसरा नंबर 1066 रकबा 10 बिस्वा वादी के पूर्वाधिकारी श्री शंकर पिता देवराम व गटू पिता कुरिया सहखातेदार थे, जिसमें शंकर का 2/3 हिस्सा तथा गटू का 1/3 हिस्सा था। शंकर का देहावसान हो चुका है तथा गटू ने अपना 1/3 हिस्सा शंकर के पुत्र धुलजी व हीरालाल को दिनांक 27—10—1975 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से धूलजी व हीरालाल उक्त भूमि पर काबिज हुए, किन्तु गटु की मृत्यु पर विरासत से भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज हो गयी, जबकि गटू उक्त भूमि विक्रय कर चुका था। उक्त गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा उक्त 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय कर दिया, जो वादीगण के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर खसरा नंबर 1066 रकबा 10 बिस्वा के सम्पूर्ण रकबे का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 7 तनकियात कायम की तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 26—09—2018 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26—10—2018 को प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:43 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से वकील श्री संजीव भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 व 11 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि गटू द्वारा कभी भी भूमि रेस्पोन्डेन्ट को विक्रय नहीं की गयी तथाकथित विक्रय पत्र पर गटू के फर्जी हस्ताक्षर हैं। वादीगण द्वारा तुलसी के विक्रय को निरस्त करने की दाद चाही गयी है, जिसका श्रवणाधिकार सिर्फ सिविल न्यायालय को है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया है। वादीगण द्वारा विक्रय पत्र को साबित नहीं करवाया गया है स्वयं वादीगण के गवाह पी.डब्ल्यू. 3 ने वादीगण के कब्जे को नहीं माना है। दौराने वाद तुलसी की मृत्यु हो गयी, किन्तु वादीगण द्वारा उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया, जिससे मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित होने से कानूनन शून्य है। तथाकथित विक्रय पत्र अनस्टाम्प्ड है, जिस ओर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने विक्रय पत्र दिनांक 27–10–1975 प्रदर्श 2 के आधार रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया है, जबकि उक्त विक्रय पत्र अनरजिस्टर्ड होकर मात्र 75 पैसे के स्टाम्प पर है। हालांकि उक्त दस्तावेज 80/– रूपये का होने से रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है, किन्तु प्रतिवादीगण ने अपने पूर्वाधिकारी गटू के फर्जी हस्ताक्षर होने का कथन किया है ऐसी स्थिति में उसे साक्ष्यों से प्रमाणित किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण ने अपने वाद के अनुतोष [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24–06–2013 को शून्य [illegible] का अनुतोष चाहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:43 IST
Reason: SelfAttested

है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उसे द्वितीय विक्रय पत्र मानते हुए शून्य घोषित किया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–09–2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में दिनांक 27–10–1975 के विक्रय पत्र पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14–11–2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 13–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:43 IST
Reason: SelfAttested